

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7
संख्या- /XXVII(7)7(1)/2013
देहरादून : दिनांक / 8 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006, अशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जनवरी, 2018 से दिनांक 31 मार्च, 2018 तक 7.6% (सात दशमलव छः प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 जनवरी, 2018 से लागू होगी।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- / 2 (1)/XXVII(7)7(1)/2013 / तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12. ऑडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून। (राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)
14. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, देहरादून, रुडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञापित की 50 (पचास) प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।